प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक याचिका विविध क्र. 181/2007

1. मेसर्स हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ब्लॉक नंबर 2, सेक्टर 11, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई (महाराष्ट्र)
2. के. वेंकट रमानी, मेसर्स हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के प्रबंधक एवं नामित, ब्लॉक संख्या 2, सेक्टर 11, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई (महाराष्ट्र)

...याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, एच.सी. पंजी, खाद्य निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

...उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

{दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत याचिका}

उपस्थित:

श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री नीरज मेहता, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सहित श्री अखिल मिश्रा, उप शासकीय अधिवक्ता और श्री राजेंद्र त्रिपाठी, राज्य/उत्तरवादी के पैनल अधिवक्ता

एकलपीठ : माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायधीश

मौखिक आदेश

(27-08-2009)

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 482 के तहत यह याचिका, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 7 सहपठित धारा 16 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आपराधिक शिकायत प्रकरण क्र. 511/2003 में

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के न्यायालय के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने के लिए है।

2. इस आधार पर अपास्त करने का अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता क्र. 2 के. वेंकटरमणी, अधिनियम की धारा 17(2) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में याचिकाकर्ता क्र. 1 द्वारा नियुक्त नामित व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए अपराध के घटित होने से असंबद्ध व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही निरंतरण रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इस आधार पर भी निरस्तीकरण का अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता क्र. 1 के विरुद्ध जानबूझकर उस खाद्य उत्पाद का नमूना लेने की तिथि से डेढ़ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात अभियोजन शुरू किया गया है, जिसे इसके निर्माण की तिथि से तीन महीने के भीतर उपयोग की अनुमति थी और अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा नमूने के विश्लेषण का अवसर दिए बिना किसी भी अभियोजन से याचिकाकर्ता क्र. 1 को गंभीर क्षति पहुंचा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है तथा शिकायत की प्रति तथा याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर अन्य दस्तावेजों की प्रतियों का अवलोकन किया है।

4. इस याचिका को दायर करने के पीछे संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता क्र. 1 एक कंपनी है जो आटा बनाती है और याचिकाकर्ता क्र. 2 अधिनियम की धारा 17(2) के तहत याचिकाकर्ता क्र. 1 द्वारा नियुक्त नामित व्यक्ति है। अन्य सह-अभियुक्त शंकरलाल और इंदर चंद विक्रेता हैं और आटा बेचने के लिए कंपनी के अधिकृत अभिकर्ता हैं। दिनांक 15-9-2001 को, याचिकाकर्ता क्र. 1 द्वारा निर्मित आटे का नमूना अभियुक्त शंकरलाल से खरीदा गया था जिसे सह-अभियुक्त इंदर चंद ने उसे बेच दिया था। औपचारिकताओं और निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात, नमूने को विश्लेषण के लिए राज्य लोक विश्लेषक के पास प्रेषित किया गया और विश्लेषण के पश्चात आटा मिलावटी पाया गया, जैसा कि दिनांक 22-10-2001 की प्रतिवेदन में बताया गया है। खाद्य निरीक्षक ने कंपनी के नामित का नाम संयुक्त निदेशक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर से पूछा, जिन्होंने खाद्य निरीक्षक को याचिकाकर्ता क्र. 2 का नाम सूचित किया। खाद्य निरीक्षक ने पुनः याचिकाकर्ता क्र. 2 से प्रकरण की जानकारी ली, जिस पर कंपनी/याचिकाकर्ता क्र. 1 ने दिनांक 21-2-2002 के

पत्र द्वारा खाद्य निरीक्षक को सूचित किया कि श्री पंकज अग्रवाल रायपुर क्षेत्र के लिए नामित हैं। अंततः दिनांक 30-5-2003 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के समक्ष शिकायत दर्ज की गई, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं और दो अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया।

5. याचिकाकर्ताओं ने यह याचिका संहिता की धारा 482 के तहत इस आधार पर दायर की है कि कथित अपराध की तिथि पर याचिकाकर्ता क्र. 2 कंपनी के लिए अधिनियम की धारा 17(2) के तहत नियुक्त नामित व्यक्ति नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता क्र. 2 किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है। उक्त आटा दिनांक 10-8-2001 को निर्मित किया गया था और नमूना दिनांक 15-9-2001 को लिया गया था। अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रदत्त नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि "तीन महीने से पहले उपयोग करना सर्वोत्तम है" तथा उक्त अवधि दिनांक 10-11-2001 को समाप्त हो रहा है, लेकिन शिकायत उक्त तिथि के बहुत बाद यानी दिनांक 30-5-2003 को दायर की गई है। अभियुक्त को अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा नमूने का विश्लेषण करने का अधिकार है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने विश्लेषण के उसके बहुमूल्य अधिकार को अस्वीकार कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता क्र. 1 ने अपने पत्र दिनांक 7-4-2001 के द्वारा सहायक आयुक्त, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ को सूचित किया है कि 18 दिसंबर, 2000 के संकल्प के द्वारा कंपनी ने श्री पंकज अग्रवाल को आटा सहित खाद्य पदार्थों की संपूर्ण श्रेणी के भंडारण, बिक्री, वितरण और विपणन के संबंध में अधिनियम की धारा 17 (2) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कंपनी के नामित व्यक्ति के रूप में नामित किया है। इसके अलावा, पत्र दिनांक 7-2-2002 के प्रत्युत्तर में, फिर से कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 15-2-2002 के द्वारा खाद्य निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को सूचित किया है कि श्री पंकज अग्रवाल अधिनियम की धारा 17 (2) के अंतर्गत नामित हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता क्र. 2 के विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही स्वीकार्य नहीं है तथा ऐसी कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानी जाएगी।

7. याचिकाकर्ता क्र. 1 कंपनी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही के प्रश्न के संबंध में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि खाद्य सामग्री में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "तीन महीने से पहले उपयोग करना सर्वोत्तम है"। उक्त आटा दिनांक 10-8-2001 को निर्मित किया गया था, नमूना दिनांक 15-9-2001 को लिया गया था और इसे तीन महीने के भीतर, अर्थात दिनांक 10-11-2001 तक उपयोग किया जाना था, लेकिन अभियोजन 1 वर्ष 6 महीने से अधिक समय बाद दिनांक 30-5-2003 को शुरू किया गया। इसलिए, यदि कंपनी अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण के लिए आवेदन भी करती है, तो भी यह निरर्थक होगा और इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। इसलिए, कंपनी के पक्ष में अधिनियम के तहत प्रदत्त किसी भी प्रकार का अभियोजन और मूल्यवान अधिकार से वंचित करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन दायर किए बिना सीधे संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए सक्षम हैं, जिसने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **मेसर्स पेप्सी फूड्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य**[1] के प्रकरण का अवलंब लिया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि उचित स्थिति में यदि शिकायत को पढ़ने मात्र से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई अपराध का पता नहीं चलता है, तो वे अपने विरुद्ध लंबित शिकायत प्रकरण को खारिज करने या अन्यथा खारिज करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में जाए बिना संहिता की धारा 482 के अंतर्गत सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **जी. सागर सूरी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**[2] के मामले का भी अवलंब लिया है जिसमें इसी प्रश्न पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि संहिता की धारा 482 के अंतर्गत याचिका दायर करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपमुक्ति हेतु कोई भी आवेदन दायर करना अनिवार्य नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **दिल्ली नगर निगम बनाम घीसा राम**[3] के प्रकरण का भी अवलंब लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अभियोजन में अत्यधिक विलंब हुई है, नमूना विघटित हो गया है और इसलिए विश्लेषण करना असंभव है, अभियुक्त को उसके बहुमूल्य अधिकार से वंचित किया गया है, दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] एआईआर 1998 एससी 128
[2] एआईआर 2000 एससी 154
[3] 1967 Cri.एल.जे. 939 : एआईआर 1967 एससी 970

हरियाणा राज्य बनाम यूनिक फार्मेड प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य[4] के मामले का भी अवलंब लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि कीटनाशक अधिनियम में समानांतर प्रावधानों के मामले में, कीटनाशक के उपयोग की अवधि समाप्त होने के बाद नमूने का पुनः विश्लेषण करने के लिए, नमूने को केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला में भेजने का कोई महत्व नहीं है और शिकायत अपास्त किए जाने योग्य है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **श्री रोहित मुल एवं अन्य बनाम गोवा राज्य**[5] के मामले का भी अवलंब लिया है, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा न्याय पीठ ने माना है कि उत्पाद की समाप्ति तिथि के बाद अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस भेजने से याचिकाकर्ता-अभियुक्तों का सीएफएल से नमूने का विश्लेषण कराने का अधिकार समाप्त हो जाता है और कार्यवाही अपास्त किए जाने योग्य है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **सुरेश नारायणन एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[6] के मामले का अवलंब लिया है, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि दूध या दूध से बने उत्पाद जैसे आइसक्रीम आदि उठाने की तिथि से 10 महीने के भीतर विघटित हो जाते हैं, इसलिए, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए दूसरा नमूना भेजना निरर्थक है और इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति देना केवल विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि खाद्य निरीक्षक ने उप निदेशक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन से कंपनी के नामित व्यक्ति के नाम की परीक्षण की है, जिन्होंने याचिकाकर्ता क्र. 2 का नाम सूचित किया था, इसलिए, क्या याचिकाकर्ता क्र. 2 अपराध के तिथि पर नामित व्यक्ति था या कोई अन्य व्यक्ति श्री पंकज अग्रवाल नामित व्यक्ति था, यह तथ्य का प्रश्न है और संहिता की धारा 482 के तहत याचिका के स्तर पर विवादित तथ्यों के बारे में परीक्षण करना संभव नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त आधार पर अपने आरोपमुक्ति के लिए परीक्षण न्यायालय में आवेदन दायर नहीं किया है और बिना कोई अपवादात्मक मामला बनाए सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं को यह दिखाना होगा कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोपों को उनके मूल रूप में स्वीकार कर लिया जाए, तब भी दोषसिद्धि संभव नहीं होगी, और इसलिए, आपराधिक कार्यवाही अपास्त की जा सकती है।

---

[4] 2000 एआईआर एससीडब्ल्यू 1985
[5] 2006 (1) एफएसी 57
[6] 2003 (3) एम.पी.एल.जे. 60

परंतु, वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ताओं ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया है और यही उनकी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है।

9. यह प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर के न्यायालय में लंबित आपराधिक शिकायत को अपास्त करने के लिए संहिता की धारा 482 के अंतर्गत एक याचिका है। संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति असाधारण प्रकृति की है और इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। **मेसर्स झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम मोहम्मद शराफुल हक एवं अन्य**[7] के प्रकरण में संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है,

> "8. इस प्रकार के प्रकरण में संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग अपवाद है, नियम नहीं। धारा उच्च न्यायालय को कोई नई शक्तियां प्रदान नहीं करती है। यह केवल अंतर्निहित शक्ति को सुरक्षित रखती है जो न्यायालय के पास संहिता के अधिनियमित होने से पहले थी। इस धारा के अन्तर्गत तीन परिस्थितियों की परिकल्पना करती है, जिनके तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्, (i) संहिता के तहत पारित आदेश को प्रभावी करने के लिए, (ii) न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और (iii) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। किसी भी अनम्य नियम को निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है जो अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करेगा। प्रक्रिया संबंधी कोई भी विधायी अधिनियम उन सभी प्रकरणों के लिए प्रावधान नहीं कर सकता है जो संभवतः उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए, न्यायालयों के पास विधि के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा अंतर्निहित शक्तियां हैं जो विधि द्वारा उन पर लगाए गए कार्यों और कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हैं। यही वह सिद्धांत है जिसकी अभिव्यक्ति उस धारा में होती है जो उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों को केवल मान्यता देती है और उन्हें संरक्षित करती है। सभी न्यायालय, चाहे दीवानी हों या फौजदारी, किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, अपने संविधान में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[7] एआईआर 2000 एससी 9

निहित, न्याय प्रशासन के दौरान सही करने और गलत को सुधारने के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ रखते हैं, इस सिद्धांत पर कि "क्वांडो लेक्स अलिक्विड अलिकुई कॉन्सेडिट, कॉन्सेडेरे विडेटुर एट आइड सिने क्वो रेस इप्से एसे नॉन पोटेस्ट" (जब विधि किसी व्यक्ति को कुछ प्रदान करता है, तो वह उसे वह भी देता है जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं रह सकता)। धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालय अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। इस धारा के तहत निहित अधिकार क्षेत्र यद्यपि व्यापक है, का प्रयोग संयम से, सावधानीपूर्वक और सतर्कतापूर्वक किया जाना चाहिए और केवल तभी जब ऐसा प्रयोग धारा में ही विशिष्ट रूप से निर्धारित मानदंडों द्वारा उचित ठहराया गया हो। इसका प्रयोग वास्तविक और सारभूत न्याय करने के लिए एक्स डेबिटो जस्टिटिया के तहत किया जाना चाहिए, जिसके प्रशासन के लिए ही न्यायालय अस्तित्व में हैं। न्यायालय का अधिकार न्याय को आगे बढ़ाने के लिए है और यदि अन्याय उत्पन्न करने के लिए उस अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो न्यायालय को दुरुपयोग को रोकने की शक्ति प्राप्त है। यदि किसी भी ऐसी कार्यवाही की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय हो और न्याय को बढ़ावा देने में बाधा उत्पन्न हो। न्यायालय द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी भी कार्यवाही को अपास्त करना न्यायोचित होगा यदि उसे लगता है कि कार्यवाही शुरू करना/निरंतर जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या इन कार्यवाहियों को अपास्त करने से न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जब शिकायत से कोई अपराध प्रकट नहीं होता है, तो न्यायालय तथ्यात्मक के प्रश्न का परीक्षण कर सकता है। जब किसी शिकायत को अपास्त करने अनुरोध की जाती है, तो शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का आकलन करने और आरोपों को पूर्णतः स्वीकार करने पर भी क्या कोई अपराध बनता है, यह जानने के लिए साक्ष्यों का परीक्षण करना स्वीकार्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ताओं ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई याचिका दायर किए बिना प्रत्यक्ष इस न्यायालय का रुख किया है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं को अपने विरुद्ध आपराधिक शिकायत को अपास्त करने के लिए असाधारण मामला प्रस्तुत करना आवश्यक है। शिकायत के कंडिका 9 से पता चलता है कि सबसे पहले, खाद्य निरीक्षक ने कंपनी के नामित व्यक्ति से संबंधित प्रकरण की जानकारी उप निदेशक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर से ली, जिन्होंने याचिकाकर्ता क्र. 2 का नाम सूचित किया। जब खाद्य निरीक्षक ने याचिकाकर्ता क्र. 2 से सहमति चाही, तो याचिकाकर्ता क्र. 1 कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 21-2-2002 के माध्यम से उन्हें सूचित किया कि श्री पंकज अग्रवाल रायपुर क्षेत्र के लिए अधिनियम की धारा 17(2) के अंतर्गत कंपनी के नामित व्यक्ति हैं और कंपनी ने खाद्य निरीक्षक को पत्रों की विभिन्न प्रतियां प्रेषित की गई थीं, जिन्हें शिकायतकर्ता ने शिकायत के साथ संलग्न किया है। दिनांक 15-2-2002 के पत्र से स्पष्ट होता है कि श्री पंकज अग्रवाल अधिनियम की धारा 17(2) के अंतर्गत कंपनी के नामित व्यक्ति हैं। दिनांक 15-2-2002 के पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि श्री पंकज अग्रवाल नमक, गेहूं और गेहूं उत्पादों से युक्त ब्रांडेड मुख्य खाद्य पदार्थों के भंडारण, बिक्री, वितरण और विपणन के संबंध में कंपनी के नामित व्यक्ति हैं। याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 7-4-2001 को सहायक आयुक्त/स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ को प्रेषित किए गए मूल सूचना दिनांक 15-9-2001 को नमूना लेने से बहुत पहले दिनांक 18-12-2000 के संकल्प की प्रति के साथ दायर की है, जिससे पता चलता है कि श्री पंकज अग्रवाल को कंपनी के नामित व्यक्ति के रूप में अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत चाय, कॉफी, आइसक्रीम और फ्रोज़न डेसर्ट को छोड़कर खाद्य पदार्थों के पूरे कारोबार के भंडारण, बिक्री, वितरण और विपणन के संबंध में नामित किया गया है, जिसमें विशेष रूप से शामिल हैं, (i) तेल और डेयरी वसा (ओडीएफ) जिसमें रिफाइंड तेल, वनस्पति, बेकरी वसा फैट स्प्रेड और अन्य वनस्पति तेल उत्पाद और डेयरी उत्पाद शामिल हैं; (ii) पाक उत्पाद जिसमें जैम, स्क्वैश, केचप, सूप, टमाटर पेस्ट/प्यूरी और अन्य प्रसंस्कृत फल/सब्जी उत्पाद शामिल हैं; (iv) बेकरी उत्पाद जिनमें खमीर, बेकिंग पाउडर, मकई का आटा आदि शामिल हैं; (v) स्टेपल जिसमें **आटा**, नमक, चीनी, अनाज, दालें और उनसे बनी वस्तुएं शामिल हैं; (vi) सूप, शोरबा, सॉस, मिठाइयां, बेकरी उत्पाद, पेय पदार्थ, सिरप, जेली, आइसक्रीम, कस्टर्ड, स्नैक्स और केक, ऊर्जा पेय और अन्य खाद्य उत्पादों की तैयारी के लिए पाउडर/मिश्रण; vii) मेयोनेज़, टार्टर आदि जैसे स्प्रेड और ग्रेवी तथा उनके मिश्रण; (viii)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कन्फेक्शनरी आइटम जैसे जेली बिट्स आदि यह नामांकन कंपनी के पश्चिमी क्षेत्र में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और केंद्रशासित प्रदेश दमन और दीव और सिलवासा सम्मिलित हैं।

11. अधिनियम की धारा 17(2) के प्रावधान इस प्रकार हैं:

> "कोई भी कंपनी लिखित आदेश द्वारा अपने किसी निदेशक या प्रबंधक को (ऐसा प्रबंधक मुख्यतः प्रबंधकीय या पर्यवेक्षी क्षमता में नियुक्त हो) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कदम उठाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन कंपनी द्वारा किसी अपराध को किए जाने से रोकने के लिए आवश्यक या समीचीन हों और स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाए, यह सूचना दे सकेगी कि उसने ऐसे निदेशक या प्रबंधक को उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में नामित किया है, साथ ही ऐसे निदेशक या प्रबंधक की इस प्रकार नामित किए जाने के लिए लिखित सहमति भी दे सकेगी।
>
> *स्पष्टीकरणः*- जहां किसी कंपनी के विभिन्न प्रतिष्ठान या शाखाएं हैं या किसी प्रतिष्ठान या शाखा में विभिन्न इकाइयां हैं, वहां विभिन्न प्रतिष्ठानों या शाखाओं या इकाइयों के संबंध में इस उपधारा के तहत विभिन्न व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है और किसी प्रतिष्ठान, शाखा या इकाई के संबंध में नामित व्यक्ति को ऐसे प्रतिष्ठान, शाखा या इकाई के संबंध में जिम्मेदार व्यक्ति माना जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अधिनियम की धारा 17(2) कंपनी को एक नामित व्यक्ति को नामित करने का अधिकार देती है जिसके विरुद्ध अभियोजन संचालित किया जा सके। खाद्य निरीक्षक द्वारा की गई परीक्षण और उससे प्राप्त उत्तर, जिसका उल्लेख शिकायत के कंडिका 9 में किया गया है, से स्पष्ट है कि श्री पंकज अग्रवाल को खाद्य उत्पादों, विशेष रूप से गेहूँ एवं गेहूँ उत्पादों से संबंधित प्रकरणों में कंपनी के नामिती के रूप में नामित किया गया था। आटा निस्संदेह गेहूँ का उत्पाद है। खाद्य उत्पादों का विवरण दिनांक 18-12-2000 के प्रस्ताव में दिया गया है, जहाँ विशिष्ट शब्द 'आटा' का भी उल्लेख किया गया है। अतः, यह जानते हुए भी कि कथित

अपराध के दिन याचिकाकर्ता क्र. 2 कंपनी का नामिती नहीं था और श्री पंकज अग्रवाल कंपनी के नामित व्यक्ति थे, याचिकाकर्ता क्र. 2 के विरुद्ध अभियोजन प्रारंभ करना विधि के अंतर्गत सम्मत नहीं है और इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

13. अधिनियम की धारा 17 में निर्दिष्ट किया गया है कि कम्पनियों द्वारा किए गए अपराधों के प्रकरण में कौन अभियुक्त हो सकता है, अर्थात् खंड (क) के अनुसार नामित व्यक्ति और खंड (ख) के अनुसार कम्पनी, यदि नामित व्यक्ति को अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के अंतर्गत नामित या प्राधिकृत किया गया है।

14. जहाँ तक याचिकाकर्ता क्र. 1 कंपनी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही निरंतर रखने का प्रश्न है, यह स्वीकार किया जाता है कि आटा अपने निर्माण की तिथि से तीन महीने के भीतर सर्वोत्तम उपयोग के लिए था। परीक्षण प्रतिवेदन से पता चलता है कि आटा अपने सर्वोत्तम उपयोग की तिथि अर्थात दिनांक 10-11-2001 से बहुत पहले 20-10-2001 को अपमिश्रित पाया गया था, लेकिन अभियोजन दिनांक 10-11-2001 से पूर्व प्रारंभ नहीं किया गया था और यह इसके निर्माण के डेढ़ वर्ष पश्चात दिनांक 30-5-2003 को प्रारंभ किया गया था। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एक विशेष अधिनियम है जो निवारक दंड का प्रावधान करता है और अभियुक्तों को संरक्षण भी प्रदान करता है। यह अधिनियम, अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला से नमूने का परीक्षण करने का बहुमूल्य अधिकार भी प्रदान करता है, जो इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "उपधारा (1) के अधीन परीक्षण के परिणाम की प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कि खाद्य पदार्थ अपमिश्रित है, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण, उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनसे खाद्य पदार्थ का नमूना लिया गया था और उस व्यक्ति के विरुद्ध, यदि कोई हो, जिसका नाम, पता और अन्य विवरण धारा 14-क के अधीन उद्घाटित किया गया है, अभियोजन संस्थित करने के पश्चात, परीक्षण के परिणाम की प्रतिवेदन की एक प्रति, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को अग्रेषित करेगा, तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सूचित करेगा कि यदि वह ऐसा चाहे तो उनमें से कोई एक या दोनों स्थानीय

(स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा रखे गए खाद्य पदार्थ के नमूने का केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण कराने के लिए प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।"

15. जैसा कि **नगर निगम (पूर्वोक्त)** प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, अभियोजन में अत्यधिक विलंब, नमूने के सड़ जाने और इसलिए उसका विश्लेषण असंभव होने के कारण, अभियुक्त अपने बहुमूल्य अधिकार से वंचित हो जाता है। उक्त निर्णय का कंडिका 7 इस प्रकार है,

"(7) हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब अधिनियम की धारा 13 (2) द्वारा विक्रेता को यह बहुमूल्य अधिकार प्रदान किया जाता है कि उसे दिए गए नमूने का परीक्षण केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा कराया जाए, तो यह अपेक्षा की जाती है कि अभियोजन इस प्रकार आगे बढ़ेगा कि उसे यह अधिकार अस्वीकार न किया जाए। यह अधिकार बहुमूल्य है, क्योंकि निदेशक का प्रमाणपत्र लोक विश्लेषक की प्रतिवेदन का स्थान लेता है और उसे उसकी विषय-वस्तु का निर्णायक साक्ष्य माना जाता है। स्पष्टतः, यह अधिकार विक्रेता को इसलिए दिया गया है ताकि वह अपनी संतुष्टि और उचित बचाव के लिए अपने पास रखे नमूने का परीक्षण किसी उच्च विशेषज्ञ से करवा सके, जिसका प्रमाणपत्र न्यायालय द्वारा निर्णायक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ऐसे प्रकरण में जहां अभियोजन पक्ष के जानबूझकर किए गए आचरण के कारण इस अधिकार से इनकार किया जाता है, हम सोचते हैं कि विक्रेता, अपने परीक्षण में, इतने गंभीर रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त है कि लोक विश्लेषक की प्रतिवेदन के आधार पर उसकी सजा को बरकरार रखना न्यायोचित नहीं होगा, यद्यपि वह प्रतिवेदन उसमें निहित तथ्यों के प्रकरण में साक्ष्य बनी हुई है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. कीटनाशक अधिनियम के एक प्रकरण में अभियुक्त के बहुमूल्य अधिकार के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **हरियाणा राज्य (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में यह निर्णय दिया है

कि नमूने को केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला में देर से प्रेषण का कोई महत्व नहीं है और शिकायत अपास्त किए जाने योग्य है। उक्त निर्णय का कंडिका 11 इस प्रकार है,

> "**11.** धारा 30 की उपधारा (1) जो प्रासंगिक प्रतीत होती है, केवल यह निर्धारित करती है कि अज्ञानता कोई प्रतिरक्षा नहीं होगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि अधिनियम के अन्य अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तो अभियुक्त के पास कोई उपचार नहीं है। नमूने के परीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित है और यदि यह अभियुक्त के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालती है, तो उसे निश्चित रूप से शिकायत खारिज करने का अधिकार है। इस बारे में दो मत नहीं हो सकतीं। फिर, अभियुक्त के केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला से नमूने की परीक्षण कराने के अधिकार की रक्षा के लिए, अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि वह शीघ्रता से शिकायत दर्ज करे ताकि अभियुक्त का अधिकार नष्ट न हो। वर्तमान प्रकरण में, जब उत्तरवादियों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया तब तक कीटनाशक की समाप्ति तिथि समाप्त हो चुकी थी और इतनी देर से नमूना केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला प्रेषित करने का कोई अर्थ नहीं होता। यह *मुद्दा अब एकीकृत* नहीं रह गया है। *पंजाब राज्य बनाम नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, [(1996) 10 जेटी (एससी) 480]* में, इसी न्यायालय ने कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में कहा था कि अधिनियम की धारा 24 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अभियुक्त को केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला द्वारा नमूने की परीक्षण कराने और अपने बचाव में दी गई प्रतिवेदन के साक्ष्य प्रस्तुत करने से वंचित करती है। इस न्यायालय ने शिकायत को शीघ्रता से दर्ज करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि अभियुक्त वैधानिक प्रतिरक्षा का विकल्प चुन सके। न्यायालय ने यह माना कि अभियुक्त को वैधानिक रूप से प्राप्त एक बहुमूल्य अधिकार से वंचित किया गया है। इस दृष्टिकोण से, न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक शिकायत को निरंतर रखने की अनुमति नहीं दी। हमारे पास औषधि एवं प्रसाधन सामग्री

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम, 1940 और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत इसी प्रश्न से संबंधित प्रकरण हैं। इस संबंध में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया जाए। *हरियाणा राज्य बनाम बृज लाल मित्तल, (1998) 5 एससीसी 343 : (1998 एआईआर एससीडब्ल्यू 2240 : एआईआर 1998 एससी 2327 : 1998 Cri. एलजे 3287)* औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत; *दिल्ली नगर निगम बनाम घीसा राम, एआईआर 1967 एससी 970 : (1967 Cri. एलजे 939); चेतुमल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1981) 3 एससीसी 72 : (एआईआर 1981 एससी 1387 : 1981 Cr एलजे 1009)* और *कलकत्ता नगर निगम बनाम पवन कुमार सराफ, (1999) 2 एससीसी 400 : (1999 एआईआर एससीडब्ल्यू 346 : एआईआर 1999 एससी 738 : 1999 Cri. एलजे 1125)* सभी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. **हरियाणा राज्य (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में, केन्द्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला से नमूने का पुनः परीक्षण कराने के अभियुक्त के अधिकार पर करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम में निहित पूर्ववर्ती प्रावधानों पर विचार किया है और अधिनियम के तहत प्राधिकारियों पर विचार करने के पश्चात, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि केन्द्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला को विलंब से नमूना प्रेषण का कोई महत्व नहीं है और शिकायत अपास्त किए जाने योग्य है।

18. इसके अतिरिक्त, **सुरेश (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में इसी प्रश्न पर विचार करते हुए और **नगर निगम (पूर्वोक्त) एवं हरियाणा राज्य (पूर्वोक्त)** के प्रकरणों का हवाला देते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्तों पर विचारण चलाने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। **श्री रोहित (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने भी यही मत व्यक्त की है, जिसमें यह माना गया है कि चॉकलेट में अपमिश्रित के प्रकरण में, उत्पाद की समाप्ति तिथि से दो दिवस पूर्व अभियुक्तों को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस प्रेषण किए जाने से याचिकाकर्ता-अभियुक्तों

का केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला (सीएफएल) से नमूने का परीक्षण कराने का अधिकार समाप्त हो जाता है और कार्यवाही अपास्त की जाती है।

19. वर्तमान प्रकरण में उपरोक्त प्राधिकारियों का कथन लागू होता है। डेढ़ वर्ष से अधिक समय पश्चात अभियोजन प्रारंभ करने से गंभीर पक्षपात उत्पन्न हुआ है और अभियुक्त/याचिकाकर्ता क्र. 1, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला से नमूने का परीक्षण कराने के अपने बहुमूल्य अधिकार से वंचित है। अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के अनुसार, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक का प्रमाणपत्र या प्रतिवेदन अंतिम होती है और लोक विश्लेषक द्वारा दी गई प्रतिवेदन का स्थान लेती है।

20. प्रकरण की वर्तमान परिस्थितियों में, मेरा मत है कि याचिकाकर्ता संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क किए बिना, संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को अपास्त करने के लिए पर्याप्त प्रकरण बनाने में सक्षम हैं, और वर्तमान याचिका **मेसर्स पेप्सी (पूर्वोक्त)** और **जी. सागर (पूर्वोक्त)** के प्रकरणों में आयोजित की गई व्यवस्था के अनुसार, पोषणीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. **नगर निगम, हरियाणा राज्य, श्री रोहित** और **सुरेश (पूर्वोक्त)** के प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में, आपराधिक कार्यवाही निरंतर रखना याचिकाकर्ता क्र. 1 से संबंधित न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होने के बराबर होगी।

22. उपरोक्त कारणों से, मैं इसे संहिता की धारा 482 के अंतर्गत निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला मानता हूँ। तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। रायपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक शिकायत प्रकरण क्र. 511/2003 में याचिकाकर्ताओं, मेसर्स हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड और के वेंकट रमानी के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही एतद्द्वारा अपास्त की जाती है।

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By – Brijesh Kumar Tiwari

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur